

अनु-1

पत्रांक-8/निकाय/06/2021/न०वि०आ०...2812(अ०)  
झारखण्ड सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,  
अरविन्द कुमार मिश्र,  
सरकार के संयुक्त सचिव।  
सेवा में,  
नगर आयुक्त,  
राँची नगर निगम।

राँची, दिनांक :- 09/09/21

विषय:-महापौर, राँची नगर निगम के कार्यशैली पर विद्वान महाधिवक्ता का मंतव्य के संबंध में।  
प्रसंग:-आपका पत्रांक-39/गो० दिनांक-07.04.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा राँची नगर निगम पर्वद की बैठक आहूत करने एवं कार्यवाही आदि पर हस्ताक्षर करने सहित कतिपय बिन्दुओं पर विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई थी।

उक्त के आलोक में वांछित बिन्दुओं पर विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त है।

प्राप्त परामर्श की छायाप्रति (कुल 10 पृष्ठों में) संलग्न करते हुए अनुरोध है कि परामर्श के आलोक में ही अग्रेतर कार्रवाई की जाए।

अनु० :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(अरविन्द कुमार मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव।

राँची, दिनांक-09/09/21

ज्ञापांक:-8/निकाय/06/2021/न०वि०आ०...2812

प्रतिलिपि:-नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी,  
सभी शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड (राँची नगर निगम को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।